



## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उष्कम)

शक्ति मान, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 1051 - काविनी एवं वै०प्र० - 29 / पाकालि / 2014-7 काविनी / 89

दिनांक २४ नवम्बर, 2014

### कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिं० के निदेशक मण्डल की दिनांक 18 नवम्बर, 2014 को सम्प० 110वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिं० में सेवानिवृत्ति के पश्चात् संवि० पर योजित सेवा नौं को देय समेकित धनराशि/पारिश्रमिक भुगतान की दरें निर्धारित किये जाने विषय कार्यालय ज्ञाप सं० 615-काविनी एवं वै०प्र०-29/पाकालि/13-7 काविनी/89 दिनांक 25 अक्टूब० 2013 द्वारा निर्धारित की गई पारिश्रमिक की दरों को निम्नवत् पुनर्रक्षित किये जाने की सहृष्ट स्वीकृ प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	पद, जिससे सम्बन्धित कार्मिक सेवानिवृत्त हुआ	प्रतिमाह देय पारिश्रमिक के समेकित धनराशि
1.	अवर अ०, समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, लेखाकार एवं समकक्ष	रु. 28000/-
2.	सहायता अ०, अनुअधिकारी, निजी सचिव (श्रेणी-२), सहायता लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, कार्मिक आधिकारी, सहायता अधिकारी एवं समकक्ष	रु. 36000/-
3.	अधिकारी अ०, अनु सचिव, उप सचिव, निजी सचिव (श्रेणी-१), निजी सचिव (विंश्वे०, घरिष्ठ लेखाधिकारी, उप मुख्य लेखाधिकारी, घरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, घरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (विंश्वे०) एवं समकक्ष	रु. 45000/-
4.	अधीकारी अ०, संयुक्त सचिव, प्रमुख निजी सचिव, उप महाप्रबन्धक (लेखा) एवं समकक्ष	रु. 55000/-
5.	मुद्रांभि-११, अपर सचिव, महा प्रबन्धक (लेखा) एवं समकक्ष	रु. 65000/-
6.	मुद्रांभि-१, मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा) एवं समकक्ष	रु. 70000/-

2. उपरोक्त के अतिरिक्त कारपोरेशन कार्यहित में निम्नाँकित श्रेणी के कार्मिकों को सेवानिवृत्ति उपरान्त पुनः सेवा पर योजित किये जाने की दशा में उन्हें प्रतिमाह समेकित देय धनराशि/पारिश्रमिकों को दर निम्नवत् अनुमत्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र. सं.	पद, जिससे सम्बन्धित कार्मिक सेवानिवृत्त हुआ	मानदेय (प्रतिमाह देय पारिश्रमिकों के समेकित धनराशि)
1.	अनुसंवाद तथा समकक्ष	रु. 10,000/-
2.	टीव्ही० ११, लाइनमैन तथा समकक्ष	रु. 17,000/-

(Cont.

3.	कार्यालय सहायक (तृतीय)/(द्वितीय) तथा साक्षा	रु. 17,000/-
4.	कार्यालय अधीक्षक, संगणक, आशुल्पापिके (वैबोर्ड) तथा समक्ष	रु. 28,000/-

3. उपरोक्त दरें इस प्रतिबन्धाधीन अनुमत्य की गयी है कि उपरोक्तानुसार देय धनराशि सम कार्मिक की रोटानिवृत्ति की शिथि को, उसको देय वेतन (भूल वेतन+मंहगाई भत्ता) में से, उरको योग्य प्रेशन घटाने के उपरान्त देय धनराशि से आधिक नहीं होगी।
4. उपरोक्त पुनरीक्षित दरें आदेश निर्गतन को तिथि से लागू मानी जायेगी।

### निदेशक मण्डल की आज्ञा

सं- 1051 -(I) कातिनी एवं वे०प्र०-२९/पाकालि/२०१२ तदद्वानक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सम्बन्धीय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/ उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. अध्यक्ष, उ० प्र० पावर हाँसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, काला कानपुर/पूर्वी चंडीगढ़ विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्याचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
6. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
7. आगर पुलिस भानिदेशक, उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, बी-१७, ज० रोड, महानगर, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
10. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
12. अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० प्रावर करपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
13. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ दो निदेशक मण्डल की दिनांक १८.११.२०१४ को सम्पन्न ११०(३०)/१४ बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
15. अधिशारी/अभियन्ता (वै०), कक्ष स०-४०७, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर अप्लोड करने हेतु।

कम्पनी एवं निदेशक

आज्ञा से

संख्या- १७७७- प्र.नि.(काप)अ.अ.१ संविद दि: २३.२.१५ (बी०ड०० पांडेय)

समस्त जुखाअभियन्ता निवास/घान्ता, आगरा अलीगढ़ बंदा, अपर सचिव (प्रथम) झाँसी, कानपुर

समस्त अधिकारी अभियन्ता- निवास/कालाला/भौंड/जानकर/टी.टी/काम सन्दर्भ- अधिकारी अभियन्ता- निवास/काला/भौंड/जानकर/टी.टी/काम

काम के अध्योन्नत का अनुमति दिए गए दिन १०५१ कातिनी द्वाने के अ.प्र० का०लि० २०१५-> का०वि०/४९ दि. २७.११.१५ आपके स्वयन्भूत द्वाने मात्रपद कम्पनी हेतु, अप०का०तु विषे ज्ञान का दुष्ट दिला हुआ है।

( श्री. दस्तगानकर )

अभियन्ता अनि. (काला) कुनै अन्य निवा